



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक 3738 /वास्तु./मुख्या./13
प्रति,

रायपुर, दिनांक 22/11/2013

समस्त वास्तुविद/फर्म/कंपनी
मंडल में पंजीकृत ए श्रेणी में (2013)
आर्किटेक्चरल एवं इंजिनियरिंग सर्विसेस हेतु

विषय :- छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजना सेक्टर-12 नया रायपुर के लिये आर्किटेक्चर एवं इंजिनियरिंग सेवाएँ हेतु कन्सलटेंट चयन बाबत ।

---00---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजना सेक्टर-12 नया रायपुर के लिये ले-आउट एवं बिल्डिंग का कान्सेप्ट प्लान तैयार किया जाना है । इस हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में 'ए' श्रेणी में 2013 में पंजीबद्ध वास्तुविद/फर्म/कंपनी (वास्तुविदीय एवं इंजीनियरिंग सेवायें) से ले-आउट एवं बिल्डिंग प्लान के कान्सेप्ट प्लान दिनांक 05.12.2013 को शाम 5.00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। कान्सेप्ट डिजाइन मुख्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या मेनुवली जमा करें।

योजना के लिये भूमि लगभग 150 एकड़ है एवं योजना की लागत लगभग रु. 500.00 करोड़ है तथा योजना के लिये प्रस्तावित एफ.ए.आर. 1.3 है एवं समस्त प्लानिंग एन.आर.डी.ए. के मास्टर प्लान के नियमों के अनुसार किया जाना है तथा स्कोप ऑफ वर्क एवं फीस मंडल की पुनरीक्षित ई.ओ.आई. 2013 के अनुसार होगा।

* इस योजना में निम्न प्रावधानों का समावेश आवश्यक रूप से किया जाना है :-

1. योजना का पूरा एफ.ए.आर. का उपयोग किया जाना है, 2. इको फ्रेन्डली डिजाइन, ग्रीन बिल्डिंग (वैकल्पिक उर्जा स्रोतों का उपयोग), 3. वाटर होवैस्टिंग, 4. निःशक्तजनों/विकलांगजनों के लिये सुविधाएँ, 5. सीनियर सिटीजन एवं गर्भवती महिलाओं के अनुकूल किया जाना आवश्यक है।

एवं समय समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का समावेश किया जाना है।

* यह प्रोजेक्ट शीघ्र प्रारंभ किया जाना है इसलिए कार्य को प्राथमिकता के साथ 02 माह के अन्दर प्रारंभिक, वर्किंग ड्राइंग, डिटेल स्टीमेट तथा स्ट्रक्चर डिजाइन व अन्य संबंधित ड्राइंग उपलब्ध कराया जाना एवं अन्य कार्य ई.ओ.आई. 2013 के अनुसार किया जाना है।

* प्राप्त कान्सेप्ट प्लानों को मंडल की तकनीकी समिति के समक्ष जमा करने की रखा जावेगा एवं समिति द्वारा अंतिम चयन किया जावेगा। किसी भी वास्तुविद/फर्म का कान्सेप्ट प्लान या सभी कान्सेप्ट प्लानों को बिना किसी कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार समिति को है।

* कन्सलटेन्ट द्वारा योजना तैयार करने के पहले स्थल का भ्रमण करें, स्थल के निरीक्षण में सहयोग हेतु कार्यपालन अभियंता, राजधानी परियोजना संभाग-1 रायपुर, मौलश्री विहार पुरैना से फोन नं. 09424209039 पर संपर्क किया जा सकता है।

कन्सलटेन्ट से प्राप्त कानसेप्ट ड्राईंग को दिनांक 06.12.2013 समय प्रातः 11.30 बजे समिति के समक्ष खोला जावेगा।

* प्रस्तुतीकरण हेतु चयनित कन्सलटेन्टों को पृथक से सूचना दी जावेगी। एवं मंडल की वेब-साईट www.cghb.gov.in का अवलोकन करें।


* तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के बाद तीन बेस्ट डिजाईन का चयन किया जावेगा। द्वितीय एवं तृतीय चयनित कन्सलटेन्ट को रू.10,000.00 सांत्वना पुरुस्कार व प्रथम चयनित कन्सलटेन्ट को अनुबंध करने के पश्चात् पुनरीक्षित ई.ओ.आई. 2013 के शर्तों के अनुसार कार्य का संपादन करना होगा व फीस का भुगतान भी इसी के अनुसार किया जावेगा।

Submission Required – 1. Concept layout plan

2. Building Plan (Independent & flated) *for all category*
3. 3d View of MIG House & MIG Flat *(Any one type only of each)*

संलग्न :- एन.आर.डी.ए. गाईड लाईन एवं सर्वे प्लान

मण्डल की वेब-साईट में उपलब्ध है



वास्तुविद

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
मुख्यालय रायपुर